असाधारण आम बैठक

वीडियो कॉन्फ्रेंस ('वी.सी.')/अन्य ऑडियो-वीडियो माध्यमों (ओ.ए.वी.एम.) से

शनिवार, 19 सितम्बर, 2020- प्रात 11.00 :बजे

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Through Video Conference (VC)/ Other Audio Visual Modes (OAVM)

Saturday, September 19, 2020 at 11 A.M.

महत्वपूर्ण जानकारी	Important Information	
विवरण	Particulars	तारीख / Date
ई-वोटिंग के लिए कट-ऑफ	Cutoff date for E-voting	12.09.2020
ई-वोटिंग तारीख	E-voting Dates	16.09.2020 to/से 18.09.2020
ई-वोटिंग एजेंसी तथा जहां वेबकास्ट उपलब्ध है	E-Voting Agency and webcast available at	CDSL www.evotingindia.com
वोटिंग परिणाम	Voting Result	19.09.2020

प्रधान कार्यालय,
स्टार हाउस, सी-5 "जी" ब्लॉक,
बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स,
बांद्रा (पूर्व), मुंबई-400 051.

Bank of India
Relationship beyond banking

Head Office
Star House, C-5, `G' Block
Bandra Kurla Complex,
Bandra (East)
Mumbai-400 051

बैंक ऑफ़ इंडिया-प्रधान कार्यालय, सी-5 "जी" ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-400 051.

सूचना

निम्नलिखित **विशेष कार्यों** को पूरा करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस ('वी.सी.')/अन्य ऑडिय-वीडियो माध्यमों (ओ.ए.वी.एम.) से शनिवार, **19 सितम्बर, 2020** को **प्रात: 11.00 बजे, बैंक ऑफ़ इंडिया** के शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक के लिए एतद्-द्वारा नोटिस दिया जाता है। बैंक का प्रधान कार्यालय इस बैठक का वेन्यू माना जायेगा।

मद संख्या 1

बैंक के शेयर प्रीमियम खाते से बैंक की संचित हानियों का विनियोजन

विशेष संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उचित समझा जाता है तो, उसे पारित करना :

"**यह संकल्प पारित किया जाता है कि** बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 ("अधिनियम") की धारा 3 (2बीबीए), बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 17(2), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं अतिरिक्त प्रावधान) योजना, 1970 के अनुच्छेद 21, वित्तीय सेवाएं विभाग की गजट अधिसूचना संख्या सीजी-डीएल-ई-23032020-218862 (एस.ओ.1200ई) दिनांक 23.03.2020 जिसे राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं अतिरिक्त प्रावधान) संशोधन योजना, 2020, यथा संशोधित, संदर्भित किया जाता है, के अनुसरण में तथा किन्हीं सांविधिक संशोधनों या उसके पुन:-अधिनियमन एवं भारतीय रिज़र्व बैंक, भारत सरकार तथा इस संबंध में यथा आवश्यक ऐसे अन्य प्राधिकारियों के अनुमोदन के अधीन, समंजन (सेट ऑफ़) की तारीख को बैंक के शेयर प्रीमियम खाते में जमा के रूप में मौजूद शेष राशि का प्रयोग करते हुए यथा 31 मार्च, 2020 को रु. 23782,38,80,979.26 (दो खरब, सैंतीस अरब, बयासी करोड़ अड़तीस लाख, अस्सी हजार नौ सौ उन्नासी रुपया छब्बीस पैसा) का समंजन (सेट ऑफ) करने को तथा चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान उसका लेखांकन करने की बैंक की संचित हानियों को, बैंक के शेयरधारकों की सहमति है तथा एतद्-द्वारा सहमति दी जाती है।"

"यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि उपर्युक्त संकल्प को प्रभाव देने के उद्देश्य से, इसी उद्देश्य के लिए बोर्ड या बोर्ड की समिति या अधिकारियों को सभी ऐसे कार्य, कृत्य, मामले तथा कार्रवाई, जो उनके पूर्ण विवेक में आवश्यक या वांछनीय हो तथा जो किन्हीं प्रश्नों, कठिनाइयों तथा इस संबंध में सामने आने वाली समस्याओं या संदेहों को दूर करने के लिए आवश्यक हो, ऐसे सभी कार्य करने के लिए, एतद्-द्वारा प्राधिकृत किया जाता है।"

मद संख्या 2 : नई पूँजी तथा टियर-I/टियर-II बॉण्ड जारी करने को अनुमोदन

विशेष संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि आवश्यक समझा जाता है तो, उसे पारित करना :

"संकल्प पारित किया जाता है कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्ज़न एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 (अधिनियम), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 (योजना) एवं बैंक ऑफ़ इंडिया (शेयर एवं बैठकें) विनियमन, 2007 तथा अन्य लागू प्रावधानों, यदि कुछ हों तो और भारतीय रिज़र्व बैंक **(आरबीआई),** भारत सरकार ("जीओआई"), भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड **("सेबी")** और/अथवा इस बारे में यथा अपेक्षित किसी अन्य प्राधिकरण के अनुमोदनों, सम्मतियों, स्वीकृतियों, यदि कोई हों, के अध्यधीन एवं ऐसी शर्तों, निबंधनों और आशोधनों के अध्यधीन जो ऐसे अनुमोदन की स्वीकृति में उनके द्वारा यथा विहित किए जाएं और जिसके लिए बैंक के निदेशक बोर्ड द्वारा सहमति प्रदान की जाए तथा इन विनियमों यथा सेबी (पूंजी जारी करना तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएँ विनियमन, 2018 (आईसीडीआर विनियमन), यथा संशोधित (आईसीडीआर विनियम), सेबी (सूचीकरण बाध्यता एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 यथा संशोधित (जिसे इसके बाद अलग-अलग या संयुक्त रूप से "सेबी विनियम" कहा जायेगा), सेबी (डेब्ट प्रतिभूतियों का जारीकरण एवं सूचीकरण) विनियम, 2008, सेबी (अपरिवर्तनीय रिडीम योग्य अधिमानी शेयर) विनियम 2013, विदेशी विनिमय प्रबंधन (गैर ऋण लिखित) विनियमन, 2019 तथा ; आरबीआई, सेबी द्वारा लागू नियमों, विनियमों, निर्धारित दिशानिर्देश, परिपत्र तथा स्पष्टीकरण, यदि कुछ हो तो, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत अधिसूचनाओं/परिपत्रों और स्पष्टीकरणों, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 एवं अन्य सभी लागू विधियों और सभी अन्य संगत प्राधिकरणों से समय- समय पर विहित विनियमनों और ऐसे स्टॉक एक्सचेंज के साथ किए गए सूचीबद्धता करारों के अनुसरण में जहां बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, **बैंक के शेयरधारकों की सहमति है एवं इसके द्वारा बैंक के "निदेशक बोर्ड"** (इसके पश्चात इसे **"बोर्ड"** कहा जाएगा जिसमें ऐसी कोई समिति भी शामिल समझी जाएगी जो इस संकल्प द्वारा प्रदत्त अधिकारों सहित इसके अधिकारों का प्रयोग करने के लिए गठित हो अथवा इसके पश्चात गठित की गयी हो) को एतद्-द्वारा सहमति दी जाती है कि वे भारत में या भारत के बाहर ऑफर दस्तोवज (जो)/प्लेसमेंट दस्तावेजों/प्रोस्पोक्टस या ऐसे अन्य दस्तावेज(जों) के माध्यम से एक या अधिक श्रृंखलाओं में (फर्म के आबंटन तथा/या इश्यू के प्रतिस्पर्धात्मक आधार पर तथा विधि द्वारा तब लागू यथा अनुमति प्राप्त व्यक्तियों की ऐसी श्रेणियों के आरक्षण के प्रावधान सहित) निम्नलिखित को सृजित, प्रस्तावित, जारी तथा आबंटित करें -

(क) नकद पर प्रत्येक 10/- के अंकित मूल्य के **रु. 8000 करोड़ (आठ हजार करोड़) की राशि तक के नये इक्विटी शेयर,** ऐसे प्रीमियम पर करना कि वर्तमान चुकता इक्विटी शेयर पूंजी, बैंक के रु. 6000 करोड़ की कुल प्राधिकृत पूंजी या इसमें किसी राशि की बढ़ोतरी के अंतर्गत हो, जो कि बैंककारी कंपनी(उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3(2ए) के अनुरूप बैंक की प्राधिकृत पूंजी की उच्चतम सीमा है, या अन्य कोई राशि जो भारत सरकार तथा/या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा निर्धारित, परन्तु इस संबंध में यह ध्यान रखा जाय कि केन्द्र सरकार की शेयर धारिता हमेशा बैंक की चुकता इक्विटी पूंजी के 51% से कम न हो, चाहे वह डिस्काउंट पर हो या बाजार भाव के प्रति प्रीमियम पर;

(ख) आरबीआई द्वारा तैयार दिशा-निर्देशों के अनुसार परपेचुअल डेब्ट इन्ड्रूमेंट, नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर सहित परन्तु सब-ऑर्डिनेट डिबेन्चर तक सीमित नहीं, बॉण्ड, परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव अधिमानी शेयर तथा/या अन्य डेब्ट प्रतिभूतियों/ अधिमानी शेयर इत्यादि में अभिदान हेतु। इसे निजी स्थानन/पब्लिक इश्यू आधार

पर एक या अधिक श्रृंखलाओं में जारी किया जा सकता है जो आरबीआई या ऐसे अन्य प्राधिकरण द्वारा टियर 1 या टियर 2 पूँजी के रूप में वर्गीकृत किया जा सके। एक या अधिक श्रृंखलाओं में इसकी राशि **रु.8,000/- करोड़** (केवल रुपया आठ हजार करोड़) से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस राशि में वह राशि भी शामिल होगी जो उपर्युक्त अनुच्छेद (क) के अंतर्गत उल्लिखित है। यह एक या अधिक श्रृंखलाओं में इस विशेष संकल्प के पारित होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि हेतु है। यह एक या अधिक सदस्यों, बैंक के कर्मचारियों, भारतीय नागरिकों, अनिवासी भारतीयों(एनआरआई), कंपनियों, निजी या सार्वजनिक, निवेश संस्थाओं, सोसायटी, ट्रस्ट, शोध संस्थाओं, क्वालिफाइड इस्टिट्यूशनल बायर्स(क्यू.आई.बी) जैसे विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफ.पी.आई.), बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, भारतीय म्यूचुअल फंडों, वेंचर कैपिटल फंडों, विदेशी वेंचर कैपिटल निवेशकों, राज्य औद्योगिक विकास कॉरपोरेशन, बीमा कंपनियों, भविष्य निधियों, पेंशन फंडों, विकास वित्तीय संस्थाओं या अन्य एन्टिटियों, प्राधिकरणों या किसी अन्य श्रेणी के निवेशकों जो वर्तमान विनियमों/दिशा-निर्देशों के अनुसार बैंक की इक्विटी/ अधिमानी शेयर/प्रतिभूतियों में निवेश के पात्र हैं, उन सब के लिए है तथा बैंक द्वारा यथा उचित समझा जाए, उन्हें दिया जा सकता है।

"आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि प्रतिभूतियों का ऐसा निर्गम (इश्यू), प्रस्ताव या आबंटन अर्हता संस्थागत स्थानन (क्यूआईपी), सार्वजनिक निर्गम (इश्यू), साधिकार निर्गम (इश्यू), प्राइवेट नियोजन या निर्गम (इश्यू) की ऐसी अन्य विधि के माध्यम से किया जाएगा जो कि अधिक आबंटन विकल्प के साथ या उसके बिना लागू नियमों द्वारा उपलब्ध कराया जा सकता है और यह कि प्रतिभूतियों के ऐसे प्रस्ताव, निर्गम(इश्यू), नियोजन एवं आबंटन बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970, सेबी (पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2018 (**"आईसीडीआर विनियम"**) के प्रावधानों तथा आरबीआई, सेबी एवं अन्य कोई प्राधिकरण, जैसा लागू हो, द्वारा जारी किए गए अन्य सभी दिशा-निर्देशों के अनुसार किए गए हैं और उस समय या उन समयों पर एवं ऐसे विधि से एवं ऐसे नियम एवं शर्तों पर जिसे बोर्ड अपने पूर्ण विवेक के अनुसार, उसे सही समझता है।"

"आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि जारी किए जाने वाले इक्विटी शेयर्स स्टॉक एक्सचेंजों के साथ वहां सूचीबद्ध किए जाएंगे जहां बैंक के वर्तमान इक्विटी शेयर्स सूचीबद्ध हैं।"

"आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि उपर्युक्त निर्गमों के संबंध में बोर्ड को ऐसे मूल्य या ऐसे मूल्य से अधिक मूल्य निर्धारित करने का पूर्ण अधिकार होगा जिनका निर्धारण, आईसीडीआर विनियमों के संगत प्रावधानों के अनुरूप, ऐसे तरीके से और जहां आवश्यक हो, अग्रणी प्रबन्धकों और/या हामीदारों और/या अन्य सलाहकारों के परामर्श से, और/या ऐसी निबंधनों एवं शर्तों पर, किया गया हो जिन्हें बोर्ड अपने पूर्ण विवेक पर, आईसीडीआर विनियमों और अन्य विनियमों

तथा किसी और अन्य सभी लागू विधि, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुरूप निश्चित करे, और/या चाहे प्रस्तावित निवेशक बैंक के वर्तमान शेयर धारक हों चाहे न हों।''

"आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि आईसीडीआर विनियम के अध्याय VI के अनुसार अर्हता प्राप्त संस्थागत स्थानन के मामले में,

क) आईसीडीआर विनियम के अध्याय VI में दिए गए आशय के अनुसार, प्रतिभूतियों का आबंटन केवल अर्हता प्राप्त संस्थागत क्रेताओं को ही किया जाएगा, ऐसी प्रतिभूतियां पूर्णतः प्रदत्त होंगी और ऐसी प्रतिभूतियों का आबंटन इस संकल्प की तिथि से 365 दिन अथवा ऐसे समय के भीतर पूर्ण किया जाएगा जिसकी, आईसीडीआर विनियमों के अंतर्गत समय-समय पर अनुमति प्रदान की जाएगी।''

ख) आईसीडीआर विनियमन के विनियम 176(1) के अनुसार, बैंक शेयरों पर न्यूनतम मूल्य (फ्लोर प्राइस) के अधिकतम पाँच प्रतिशत तक की छूट पर, बैंक अपने शेयर ऑफर करने के लिए प्राधिकृत है।

ग) प्रतिभूतियों के न्यूनतम मूल्य (फ्लोर प्राइस) के निर्धारण की उपयुक्त तिथि आईसीडीआर विनियम के अनुसार होगी।''

"आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि बोर्ड को यह प्राधिकार और शक्ति होगी कि वह प्रस्ताव में किसी ऐसे आशोधन को स्वीकार करे जो भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक/भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड/ऐसे स्टॉक एक्सचेंज जहां बैंक के शेयर्स सूचीबद्ध हैं, अथवा जहां जारी की जाने वाली कर्ज प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध किया जाना प्रस्तावित है या ऐसे अन्य उपयुक्त प्राधिकरणों द्वारा निर्गम (इश्यू), आबंटन और उनकी सूचीबद्धता के लिए उनके अनुमोदन, सम्मतियां, अनुमतियां और स्वीकृतियां प्रदान करते/देते समय पर अपेक्षित अथवा अधिरोपित हों और जैसी बोर्ड द्वारा सहमति दी जाए।"

"आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि एनआरआई, एफपीआई और/या अन्य पात्र विदेशी निवेशों को उपर्युक्त प्रतिभूतियों का निर्गम (इश्यू) एवं आबंटन, यदि कोई हो, लागू विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अंतर्गत आरबीआई के अनुमोदन के अध्यधीन होगा, जैसा लागू हो, किन्तु अधिनियम के अंतर्गत एवं अन्य विनियामकों द्वारा निर्धारित संपूर्ण सीमाओं के भीतर ही होगा।''

"आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि जारी किए जाने वाले उक्त नए इक्विटी शेयर्स बैंक ऑफ़ इंडिया (शेयर्स एंड मीटिंग्स) विनियमन, 2007 यथा संशोधित के अध्यधीन होंगे और ऐसी घोषणा के समय लागू सांविधिक दिशा-निर्देशों के अनुसार, बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयर्स के साथ, लाभांश सहित, यदि कोई हो, के साथ-साथ सभी मामलों में समान माने जाएंगे।''

"आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि बोर्ड इस बात के लिए प्राधिकृत हो और उसे एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है कि वह किसी भी अग्रणी प्रबंधक (प्रबंधकों), बैंकर(बैंकरों), हामीदार(हामीदारों), निक्षेपागार(निक्षेपागारों) और ऐसी सभी एजेंसियां, जो उपर्युक्त प्रतिभूतियों के ऐसे प्रस्ताव में शामिल या संबद्ध हों, साथ ही, वह ऐसी सभी व्यवस्थाओं को आरंभ करने एवं उनका निष्पादन करने तथा कमीशन, ब्रोकरेज, शुल्क या इनके जैसे माध्यम से ऐसी सभी संस्थाओं एवं एजेंसियों को पारिश्रमिक देने हेतु तथा ऐसी एजेंसियों के साथ ऐसी सभी व्यवस्थाओं, समझौतों, ज्ञापनों, दस्तावेजों इत्यादि को भी आरंभ करने एवं निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत हो।''

"आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि उपर्युक्त को लागू करने के लिए बोर्ड प्राधिकृत हो और उसे इसके लिए प्राधिकृत किया जाता है कि वह अग्रणी प्रबंधकों, हामीदारों, सलाहकारों तथा/या बैंक द्वारा नियुक्त किए गए अन्य व्यक्तियों के परामर्श से निर्गम(इश्यू) के प्रारूप एवं शर्तों को निर्धारित करे जिसमें निवेशकों की श्रेणी भी शामिल है जिनके लिए उपर्युक्त प्रतिभूतियों को आबंटित किया जाना है, उनकी संख्या के प्रत्येक भाग, निर्गम मूल्य (प्रीमियम सहित, यदि कोई हो), अंकित मूल्य, इश्यू संबंधी प्रीमियम राशि/प्रतिभूतियों का रूपान्तरण/एक्सर्साइज ऑफ वारंटस/प्रतिभूतियों का मोचन, ब्याज दर, मोचन अवधि, इक्विटी/प्रिफरेंश शेयरों की संख्या या रूपान्तरित अन्य प्रतिभूतियों या प्रतिभूतियों का मोचन या निस्तारीकरण, प्रतिभूतियों के इश्यू/रूपांतरण पर मूल्य, प्रीमियम या छूट, ब्याज दर, रूपान्तरण अवधि, अभिलेख तिथि या बही बंदी का निर्धारण और उससे संबंधित या आकस्मिक मामले, भारत और/या विदेश में एक या एक से अधिक स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध और/या जैसा बोर्ड अपने पूर्ण विवेक से सही पाता है, शामिल हैं।''

"आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि उपर्युक्त ऐसी सभी प्रतिभूतियां जो अभिदत्त (subscribed) न हों, उनका बोर्ड द्वारा अपने पूर्ण विवेकाधिकार से इस प्रकार निपटान किया जा सकता है जैसे बोर्ड उसे सही समझता है और जिसकी अनुमति कानून देता है।''

"आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि इस संकल्प को लागू करने के लिए बोर्ड प्राधिकृत हो और उसे इसके लिए प्राधिकृत किया जाता है कि वह ऐसे सभी कृत्य, कार्य, मामले और चीजें करे जो उसके पूर्ण विवेकाधिकार में आवश्यक, उचित एवं वांछनीय हों और वह ऐसे किसी प्रश्न, कठिनाई अथवा संदेह का निपटान करे जो शेयरों/प्रतिभूतियों को जारी करने के बारे में उत्पन्न हो सकते हैं और वह सभी दस्तावेजों और तहरीरों को अंतिम रूप देने और निष्पादित करने के लिए ऐसे सभी कृत्य, कार्य, मामले और चीजें करें जो आवश्यक, वांछनीय अथवा समीचीन हों जो उसके पूर्ण विवेकाधिकार में उपयुक्त, उचित और वांछनीय समझे जाएं और यह भी कि इसके लिए शेयरधारकों की कोई और सम्मति अथवा अनुमोदन लेना अपेक्षित नहीं है और यह अभिप्राय है कि शेयरधारकों की ओर से यह माना जाएगा कि उन्होंने इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा अभिव्यक्त रूप से उसको अपना अनुमोदन दिया हुआ है।"

"आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि बोर्ड इस बात के लिए प्राधिकृत हो और उसे एतद्द्वारा प्राधिकार दिया जाता है कि वह उपर्युक्त संकल्पों को लागू करने के लिए प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एमडी एंड सीईओ) अथवा कार्यपालक निदेशक (कार्यपालक निदेशकों) को, इसमें प्रदत्त सभी अधिकारों अथवा किन्हीं अधिकारों को प्रत्यायोजित कर दे।"

निदेशक मण्डल के आदेशानुसार

स्थान : मुंबई
दिनांक: 25 अगस्त, 2020

ह.-
(ए.के.दास)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

नोट्स

नोट्स :-

1. कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए, कॉरपोरेट मामले मंत्रालय ("एमसीए") अपने परिपत्र दिनांक 8 अप्रैल 2020 तथा 13 अप्रैल, 2020 के साथ पठित परिपत्र दिनांक 5 मई, 2020 (समेकित रूप से "एमसीए परिपत्र") के माध्यम से तथा वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार का अनुमोदन प्राप्त होने और एक ही स्थान पर सभी सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वीसी/ओएवीएम के माध्यम से असाधारण आम बैठक का आयोजन करने की अनुमति दी है। सेबी(सूचीकरण बाध्यताएँ एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ("सेबी विनियम") के प्रावधानों तथा एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में बैंक की ईजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है।

2. लागू प्रावधानों के अनुसार, असाधारण आम बैठक में उपस्थित होने और मत देने के लिए हकदार शेयरधारक स्वयं के बदले किसी परोक्षी को बैठक में उपस्थित होने और मतदान करने के लिए नियुक्त कर सकता है। परोक्षी को बैंक का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। कॉरपोरेट मामले मंत्रालय/वित्त मंत्रालय के परिपत्रकों के अनुसार चूंकि यह असाधारण आम बैठक वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है अत: सदस्यों की भौतिक उपस्थिति को रद्द कर दिया गया है। तदनुसार, सदस्यों द्वारा परोक्षी को नियुक्त करने की सुविधा नहीं होगी और इसलिए परोक्षी फॉर्म और उपस्थिति पर्ची को इस नोटिस के साथ संलग्न नहीं किया गया है।

3. संस्थागत/कॉरपोरेट शेयरधारकों के लिए (अर्थात् वैयक्तिक/एचयूसएफ, एनआरआई आदि के अलावा) के लिए यह आवश्यक होगा कि वे अपने बोर्ड या प्रशासनिक निकाय का संकल्प/उसके द्वारा प्राधिकृत करने संबंधी स्कैन की गई प्रति (पीडीएफ/जेपीजी फॉर्मेट) प्रेषित करें, जिसमें उसकी ओर से उसके प्रतिनिधि को वीसी/ओएवीएम के माध्यम से असाधारण आम बैठक में भाग लेने और रिमोट ई-वोटिंग के लिए प्राधिकृत किया गया हो। उक्त प्राधिकार देने/संकल्प को ई-मेल द्वारा headoffice.share@bankofindia.co.in पर बैंक के कम्पनी सचिव को भेजा जाएगा और उसकी एक प्रति स्क्रूटिनाइजर को ई-मेल द्वारा scrutinizer@snaco.net पर तथा एक प्रति helpdesk.evoting@cdslindia.com पर भी भेजी जानी चाहिए।

4. 'ग्रीन इनिशिएटिव' का समर्थन करने के लिए ऐसे सदस्य, जिन्होंने अभी तक अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं किया है और यदि वे भौतिक शेयरों के धारक हैं तो उनसे अनुरोध है कि वे अपना ई-मेल डीपी में पंजीकृत करें।
5. संयुक्त शेयर धारक होने पर, जिनका नाम, बैंक के शेयरधारकों के रजिस्टर के अनुसार नामों के क्रम में जो प्रथम शेयरधारक के रूप में दर्ज़ है वे असाधारण आम बैठक में मतदान करने के हकदार होंगे।

6. जो शेयरधारक खाते या असाधारण आम बैठक में रखे जाने वाले किसी भी मामले के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनसे अनुरोध है कि वे 11 सितंबर, 2020 को या उससे पहले बैंक को headoffice.share@bankofindia.co.in पर तत्संबंधी ई-मेल भेजें। ईजीएम में बैंक द्वारा उसका यथोचित उत्तर दिया जाएगा।

7. उपर्युक्त एमसीए परिपत्र तथा सेबी परिपत्र दिनांक 12 मई 2020 के अनुपालन में, असाधारण आम बैठक का नोटिस उन शेयरधारकों को केवल इलैक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा भेजा जा रहा है जिनके ई-मेल पते बैंक/डिपॉजिटरीज़ में पंजीकृत हैं। शेयर धारक नोट करें कि यह नोटिस, बैंक की वेबसाइट www.bankofindia.co.in, स्टॉक एक्सचेंज अर्थात् बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com, नैशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.nseindia.com तथा सीडीएसएल की वेबसाइट https:www.cdslindia.com पर भी उपलब्ध रहेगी।

8. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में उपस्थित होने वाले सदस्यों को गणपूर्ति (quorum) की गणना के लिए गिना जाएगा।

9. चूंकि ईजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी, अत: इस नोटिस में मार्ग का मानचित्र संलग्न नहीं है।

10. **ई-वोटिंग**

बैंक, नोटिस में उल्लेख किए गए मदों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट डालने के लिए बैंक के शेयरधारकों के लिए रिमोट ई-वोटिंग सुविधा सहर्ष उपलब्ध करवा रहा है। बैंक उन शेयरधारकों के लिए ईजीएम के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराएगा जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग की प्रक्रिया के दौरान मतदान नहीं किया था। बैंक ने मेसर्स एस.एन.अनंतसुब्रमणियन एवं कंपनी, पेशेवर कंपनी सचिव को ई-वोटिंग प्रक्रिया को न्यायोचित और पारदर्शी ढंग से पूरा करने के लिए स्क्रूटिनाइज़र के रूप में नियुक्त किया है। शेयरधारकों/स्वामित्व हितधारकों का ई-वोटिंग अधिकार उनके द्वारा यथा **12 सितंबर, 2020 शनिवार** को धारित इक्विटी शेयरों पर माना जाएगा जो इस हेतु कट-ऑफ तारीख है। कट-ऑफ तारीख पर भौतिक अथवा डीमैट रूप में बैंक का शेयर रखनेवाले शेयरधारक अपना वोट इलेक्ट्रानिक रूप से डाल सकते हैं।

11. **ई-वोटिंग अनुदेश - रिमोट ई-वोटिंग तथा ईजीएम के दौरान ई-वोटिंग हेतु सीडीएसएल ई-वोटिंग सिस्टम**

1. जैसा कि आपको ज्ञात है, कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण उत्पन्न हुई परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए, कम्पनियों की आम बैठकें कॉरपोरेट मामले मंत्रालय (एमसीए) के परिपत्र सं.14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, परिपत्र सं.17/2020 दिनांक 13 अपैल, 2020 तथा परिपत्र सं.20/2020 के माध्यम से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार आयोजित की जाएंगी। अत: आगामी ईजीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य ऑडियो वीजुअल माध्यमों (ओएवीएम) द्वारा आयोजित की जाएगी। अतएव, सदस्य आगामी एजीएम/ईजीएम में वीसी/ओएवीएम के माध्यम से उपस्थित हो सकते हैं तथा सहभागिता कर सकते हैं।

2. कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 (यथा संशोधित) तंथा सेबी विनियम 44 (सूचीकरण बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन 2015 (यथा संशोधित) तथा एमसीए परिपत्र

दिनांक 08 अप्रैल 2020, 13 अप्रैल 2020 और 05 मई, 2020 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसार कम्पनी ईजीएम में किए जाने वाले कारोबार के संबंध में अपने सदस्यों को ई-वोटिंग की सुविधा उपलब्ध करा रही है। इसके लिए, इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधा हेतु कम्पनी ने प्राधिकृत ई-वोटिंग एजेंसी के रूप में सेंट्रल डिपोज़िटरी सर्विसेज़ (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के साथ करार किया है। ईजीएम की तारीख को किसी सदस्य द्वारा ई-वोटिंग प्रणाली या रिमोट ई-वोटिंग का प्रयोग कर मतदान करने की सुविधा सीडीएसएल द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी।

3. सदस्य, नोटिस में उल्लिखित निर्धारित समय से 15 मिनट पहले तथा 15 मिनट बाद तक वीसी/ओएवीएम द्वारा ईजीएम में भाग ले सकते हैं। वीसी/ओएवीएम द्वारा ईजीएम में भाग लेने की सुविधा पहले आने वाले कम से कम 1000 सदस्यों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें बड़े शेयरधारक (2% या उससे अधिक शेयरधारिता वाले), प्रवर्तक, संस्थागत निवेशक; नामांकन एवं प्रारिश्रमिक समिति तथा शेयरधारक संबंध समिति, लेखा परीक्षक आदि शामिल नहीं हैं क्योंकि इन्हें पहले आने की बाध्यता के बिना ही ईजीएम में उपस्थित होने की अनुमति है।

4. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों की उपस्थिति को बैंक (शेयर एवं मीटिंग) विनियम, 2007 के तहत गणपूर्ति की गणना के लिए गिना जाएगा।

5. एमसीए परिपत्र सं. 14/2020; दिनांक 08 अप्रैल, 2020 के अनुसार, सदस्यों के लिए इस ईजीएम में भाग लेने तथा मतदान करने के लिए परोक्षी की नियुक्ति की सुविधा उपलब्ध नहीं है। यद्यपि, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 112 तथा धारा 113 के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल या निगमित निकाय के प्रतिनिधि वीसी/ओएवीएम द्वारा इस ईजीएम में भाग ले सकते हैं तथा ई-वोटिंग द्वारा मतदान कर सकते हैं।

6. कॉरपोरेट मामले मंत्रालय (एमसीए) के परिपत्र सं.17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 के अनुरूप एजीएम/ईजीएम आयोजित करने संबंधी नोटिस को बैंक की वेबसाइट www.bankofindia.co.in पर अपलोड कर दिया गया है। उक्त नोटिस को स्टॉक एक्सचेंज अर्थात् बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.nse.india.com से भी प्राप्त किया जा सकता है। यह ईजीएम नोटिस सीडीएसएल (एजीएम/ईजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा तथा ई-वोटिंग प्रणाली उपलब्ध कराने वाली एजेंसी) की वेबसाइट अर्थात् www.evotingindia.com पर भी प्रसारित किया गया है।

शेयरधारकों के लिए रिमोट ई-वोटिंग हेतु अनुदेश निम्नलिखित हैं:-

i. मतदान की अवधि 16 सितंबर, 2020, बुधवार प्रात: 10.00 बजे से आरम्भ होगी तथा 18 सितंबर, 2020 शुक्रवार सायं 5.00 बजे समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान, जो शेयरधारक भौतिक रूप में कम्पनी के शेयरों को धारण करते है, वे 12 सितंबर 2020, शनिवार की कट-ऑफ दिनांक (रिकॉर्ड दिनांक) को इलैक्ट्रॉनिक रूप से मतदान कर सकते हैं। इसके बाद सीडीएसएल द्वारा मतदान हेतु ई-वोटिंग मॉड्यूल को बंद कर दिया जाएगा।

ii. जिन शेयरधारकों ने बैठक की तारीख से पहले ही मतदान कर दिया है वे बैठक स्थल पर मतदान हेतु हकदार नहीं होंगे।

iii. शेयरधारकों को ई-वोटिंग वेबसाइट www.evotingindia.com पर लॉग-ऑन करना होगा।

iv. **"shareholders"** मॉड्यूल पर क्लिक करें।

v. अब अपने यूज़र आईडी की प्रविष्टि करें।

(ए) सीडीएसएल के लिए: 16 डिजिट की बेनिफिशिएरी आईडी

(बी) एनएसडीएल के लिए: 8 कैरेक्टर का डीपीआईडी और उसके बाद 8 डिजिट का क्लायंट आईडी

(सी) जिन शेयरधारकों के पास भौतिक रूप में शेयर हों उन्हें कंपनी में पंजीकृत फोलियो नंबर की प्रविष्टि करनी होगी।

vi. डिस्प्ले किए गए वेरिफिकेशन इमेज की प्रविष्टि करें और लॉगिन पर क्लिक करें।

vii. यदि आपके पास डीमैट स्वरूप में शेयर हैं और आपने www.evotingindia.com पर लॉग-ऑन किया है और किसी कंपनी/निकाय पर ई-वोट किया है, तब आप अपने वर्तमान पासवर्ड का प्रयोग करें।

viii. यदि आप पहली बार ई-वोटिंग कर रहे हैं तो निम्नलिखित का पालन करें:-

	डीमैट और भौतिक रूप में शेयरधारक सदस्यों के लिए
पीएएन (PAN)	आयकर विभाग द्वारा जारी अपना 10 डिजिट का अल्फ़ा न्यूमेरिक **पीएएन** की प्रविष्टि करें (डीमैट एवं भौतिक स्वरूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए लागू) • जिन सदस्यों ने कंपनी/डिपॉज़िटरी प्रतिभागी में अपना पीएएन अपडेट न किया हो उनसे अनुरोध है कि वे पीएएन फील्ड में दर्शाए गए पोस्टल बैलेट/उपस्थिती पर्ची पर छपी क्रम संख्या का प्रयोग करें।
लाभांश बैंक विवरण **या** जन्मतिथि (DOB)	लॉगइन करने के लिए आपके डीमैट खाते या कंपनी के रिकॉर्ड में उल्लिखितानुसार लाभांश बैंक विवरण या जन्मतिथि (dd/mm/yyyy प्रारूप में) प्रविष्ट करें। • यदि डिपॉज़िटरी या कंपनी में ये दोनों ब्यौरे रिकॉर्ड नहीं किए गए हैं तो, कृपया अनुदेशों (v) में उल्लिखितानुसार लाभांश बैंक ब्यौरों के फील्ड़ में मेम्बर आईडी/फोलियो नंबर का उल्लेख करें।

ix. इन ब्यौरों की उचित प्रविष्टि के पश्चात *'SUBMIT'* पर क्लिक करें।

x. जिन शेयरधारकों के पास भौतिक स्वरूप में शेयर हों वे सीधे company selection स्क्रीन पर पहुंचेंगे। तथापि, डीमैट स्वरूप में शेयर रखने वाले सदस्य अब password creation मेन्यू में पहुंचेंगे, जहां उन्हें न्यू पासवर्ड फील्ड में अनिवार्य रूप से अपना लॉग इन पासवर्ड डालना होगा। कृपया नोट करें कि डीमैट धारकों को किसी अन्य कंपनी के संकल्प हेतु वोटिंग करने के लिए भी इसी पासवर्ड का प्रयोग करना होगा बशर्ते वह कंपनी सीडीएसएल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ई-वोटिंग का विकल्प चुने। विशेष रूप से यह सिफारिश की जाती है कि आप अपना पासवर्ड किसी और को न बताएं और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखें।

xi. जिन सदस्यों के पास भौतिक स्वरूप में शेयर हों, उन ब्यौरे का उपयोग केवल इस नोटिस में दिए गए संकल्प पर ई-नोटिंग हेतु किया जा सकता है।

xii. कृपया बैंक ऑफ इंडिया के ईवीएसएन पर क्लिक करें जिसे आप वोट करना चाहते हैं।

xiii. वोटिंग पृष्ठ पर, आपको 'Resolution Description' दिखेगा और उसी विकल्प के सामने वोटिंग हेतु 'Yes/No' दिखेगा। इच्छानुसार 'Yes' या 'No' विकल्प चुनें। 'Yes' विकल्प चुनने से तात्पर्य है कि आप इस संकल्प से सहमत हैं और 'No' विकल्प मतलब आप इस संकल्प से सहमत नहीं हैं।

xiv. यदि आप संकल्प के पूर्ण ब्यौरे देखना चाहें तो 'RESOLUTION FILE LINK' पर क्लिक करें।

xv. आप ने जिस संकल्प पर वोट करने का निर्णय लिया है उसका चयन करने के पश्चात 'SUBMIT' पर क्लिक करें। एक 'confirmation box' प्रदर्शित होगा। यदि आप अपने नोट की पुष्टि करना चाहें तो 'OK' पर क्लिक करें अन्यथा आपका नोट बदलने के लिए 'CANCEL' पर क्लिक करें और तदनुसार अपना वोट बदलें।

xvi. संकल्प पर अपने वोट की पुष्टि करने के बाद आपको अपना वोट बदलने की अनुमति नहीं होगी।

xvii. वोटिंग पेज पर 'click here to print' विकल्प पर क्लिक कर आप अपने द्वारा की गई वोटिंग का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं।

xviii. यदि डीमैट खाताधारक पासवर्ड भूल गया हो तो यूजर आईडी और इमेज नोटिफिकेशन कोड की प्रविष्टि करें तथा 'Forget Password' पर क्लिक करें और सिस्टम जो ब्यौरे मांगे उनकी प्रविष्टि करें।

xix. शेयरधारक सीडीएसएल के m-Voting मोबाइल एप्प के माध्यम से भी मतदान कर सकते हैं। m-Voting एप्प को संबंधित स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। कृपया मोबाइल से मतदान करते समय मोबाइल एप्प के अनुदेशों का पालन करें।

ऐसे शेयरधारकों हेतु प्रक्रिया जिनके ई-मेल पते इस नोटिस में प्रस्तावित संकल्प हेतु ई-वोटिंग के लिए लॉगइन प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत नहीं है :

1. भौतिक शेयरधारकों हेतु - कृपया आवश्यक ब्यौरे, जैसे फोलियो सं., शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र (आगे एवं पीछे) की स्कैन की गई प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्कैन की गई स्वयं द्वारा सत्यापित प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्कैन की गई स्वयं द्वारा सत्यापित प्रति) को **कम्पनी/आरटीए की ई-मेल आईडी पर** ई-मेल द्वारा प्रेषित करें।

2. डीमैट शेयरधारकों हेतु : कृपया डीमैट खाते के आवश्यक ब्यौरे (सीडीएसए-16 अंकों की लाभार्थी आईडी या एनएसडीएल-16 अंक की डीपीआईडी+सीएलआईडी), नाम, ग्राहक के मास्टर या समेकित खाता विवरण की प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्कैन की गई स्वयं द्वारा सत्यापित प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्कैन की गई स्वयं द्वारा सत्यापित प्रति) को **कम्पनी/आरटीए की ई-मेल आईडी पर** ई-मेल द्वारा प्रेषित करें।

3. कम्पनी/आरटीए सीडीएसएल के साथ समन्वय करेगी तथा ऊपर उल्लिखित शेयरधारकों को लॉग-इन संबंधी ब्योरे उपलब्ध कराएगी।

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने वाले शेयरधारकों हेतु अनुदेश निम्नानुसार हैं:

1. शेयर धारकों को सीडीएसएलई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वीसी/ओएवीएम द्वारा ईजीएम/एजीएम में भाग लेने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। शेयरधारक https://www.evotingindia.com पर शेयरधारक/सदस्य के अंतर्गत रिमोट ई-वोटिंग ब्यौरे

का प्रयोग कर इसमें भाग ले सकते हैं। वीसी/ओएवीएम हेतु लिंक शेयरधारक/सदस्य लॉगइन में उपलब्ध होगा, जहाँ कम्पनी का ईवीएसएन दर्शाया जाएगा।

2. शेयरधारकों से विशेष अनुरोध है कि वे बेहतर अनुभव के लिए लैपटॉप/आईपैड के माध्यम से बैठक में भाग लें।

3. तत्पश्चात्, शेयरधारकों को कैमरा को अनुमति देने और बैठक के दौरान किसी भी बाधा से बचने के लिए अच्छी गति का इंटरनेट प्रयोग करने की आवश्यकता होगी।

4. कृपया नोट करें कि मोबाइल हॉटस्पॉट से जोड़कर लेपटॉप या टेबलेट या मोबाइल डिवाइस के माध्यम से भाग लेने वाले प्रतिभागी अपने संबंधित नेटवर्क की अस्थिरता के कारण ऑडियो/वीडियो में बाधा का अनुभव कर सकते हैं। अत: उपर्युक्त किसी भी प्रकार की त्रुटियाँ कम से कम हों इसके लिए हम स्थिर वाईफाई या एलएएन (लैन) कनेक्शन का प्रयोग करने की सलाह देते हैं।

5. ऐसे शेयरधारक जो बैठक के दौरान अपने विचार व्यक्त करने/प्रश्न पूछने के इच्छुक हों, वे बैठक से कम से कम 7 दिन पहले अपना नाम, डीमैट खाता संख्या/फोलियो नम्बर, ई-मेल आईडी, मोबाइल नम्बर को headoffice.share@Bankofindia.co.in पर प्रेषित कर स्वयं को पंजीकृत कर सकते हैं। जो शेयरधारक एजीएम में बोलने के इच्छुक नहीं हैं, परन्तु प्रश्न पूछना चाहते हैं तो बैठक से कम से कम 7 दिन पहले अपना नाम, डीमैट खाता संख्या/फोलियो नम्बर, ई-मेल आईडी, मोबाइल नम्बर का उल्लेख करते हुए headoffice.share@Bankofindia.co.in पर अपने प्रश्न भेज सकते हैं। कम्पनी द्वारा ई-मेल के माध्यम से इन प्रश्नों का यथोचित रूप से उत्तर दिया जाएगा।

6. जिन शेयरधारकों ने स्वयं को वक्ता के रूप में पंजीकृत किया है केवल उन्हें ही बैठक के दौरान विचार व्यक्त करने/प्रश्न पूछने की अनुमति होगी।

ईजीएम के दौरान ई-वोटिंग हेतु शेयरधारकों के लिए अनुदेश निम्नलिखित हैं :-

1. ईजीएम के दिन ई-वोटिंग की प्रक्रिया रिमोट ई-वोटिंग हेतु ऊपर उल्लिखित अनुदेशों के अनुसार ही है।

2. जो शेयरधारक वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से ईजीएम में उपस्थित थे तथा रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से संकल्प पर मतदान नहीं किया है और ऐसा करने से उन्हें अन्यथा रोका नहीं गया है, वे ही ईजीएम के दौरान उपलब्ध ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान के पात्र होंगे।

3. यदि शेयरधारकों द्वारा ईजीएम के दौरान उपलब्ध ई-वोटिंग के माध्यम से कोई मतदान किए गए हैं तथा यदि उन्हीं शेयरधारकों ने वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से बैठक में भाग नहीं लिया है, तो ऐसे शेयरधारकों द्वारा किए गए मतदन को अवैध माना जाएगा क्योंकि बैठक के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा केवल बैठक में उपस्थित शेयरधारकों के लिए ही उपलब्ध है।

4. जिन शेयरधारकों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान किया है वे ईजीए में भाग लेने के पात्र होंगे। तथापि, वे ईजीएम में मतदान हेतु पात्र नहीं होंगे।

xx. गैर-एकल शेयरधारकों और अभिरक्षकों हेतु नोट :-

- गैर एकल शेयर धारक (अर्थात एकल व्यक्ति, एचयूएफ, एनआरआई आदि से भिन्न) और अभिरक्षक को www.evotingindia.comपर लॉग ऑन करना होगा और कॉरपोरेट के मॉड्यूल में पंजीकृत करना होगा।
- संस्था का स्टाम्प और हस्ताक्षर सहित पंजीकरण फार्म की स्कैन की हुई प्रति helpdesk.evoting@cdslindia.com को ई मेल की जानी चाहिए।
- लॉग इन ब्योरा प्राप्त करने के पश्चात एडमिन लॉगइन और पासवर्ड का प्रयोग करके एक अनुपालन यूजर सृजित करना होगा। अनुपालन यूज़र उन खातों को लिंक कर सकेगा जिसके लिए वे वोट करना चाहते हैं।
- लॉगइन खाते की सूची helpdesk.evoting@cdslindia.com को मेल की जाए और खातों के अनुमोदित होने पर वे अपना वोट दे सकेंगे।
- अभिरक्षक के पक्ष में जारी बोर्ड संकल्प और पॉवर ऑफ अटर्नी (पीओए) की स्कैन प्रति, यदि कोई हो, पीडीएफ फॉर्मेट में सिस्टम में अपलोड की जानी चाहिए ताकि स्क्रूटिनाइजर इसकी जांच कर सके।

- गैर-एकल शेयरधारकों को विकल्पत: संबंधित बोर्ड संकल्प/प्राधिकार पत्र आदि विधिवत प्राधिकृत हस्ताक्षरी, जो मतदान के लिए प्राधिकृत है, के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर सहित स्क्रूटिनाज़र को scrutinizer@snaco.net तथा बैंक को ई-मेल पता अर्थात् headoffice.share@Bankofindia.co.in पर भेजना अपेक्षित होता है, यदि उन्होंने व्यक्तिगत टैब से मतदान किया है तथा उसे सत्यापन हेतु स्क्रूटिनाज़र के लिए सीडीएसएल ई-वोटिंग सिस्टम में अपलोड नहीं किया है।

  ई-वोटिंग के संबंध में यदि कोई प्रश्न या समस्या है तो आप अक्सर पूछे गए प्रश्न (एफएक्यू) और www.evotingindia.com में उपलब्ध हेल्प खण्ड के तहत ई-वोटिंग मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं अथवा helpdesk@cdslindia.com को ई मेल भेज सकते हैं या 1800225533 पर कॉल कर सकते हैं।

  इलैक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा मतदान सुविधा से संबंधित सभी शिकायतें श्री राकेश दलवी, प्रबंधक (सीडीएसएल) सेंट्रल डिपॉज़िटरी सर्विसेज़ (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25वीं मंजिल, मैराथन फ्यूचरेक्स, मफतलाल मिल कम्पाउन्ड्स, एन एम जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुंबई - 400013 को संबोधित की जा सकती हैं या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर प्रेषित की जा सकती हैं या 1800225533 पर कॉल करें।

अन्य अनुदेश :

1. स्क्रूटिनाइजर, ईजीएम में मतदान के परिणाम के तुरन्त बाद, पक्ष या विपक्ष में किए गए कुल मतदान, यदि कोई है, की समेकित स्क्रूटिनाइजर रिपोर्ट बनाएगा तथा उसे अध्यक्ष/एमडी एवं सीईओ या उसके द्वारा लिखित में प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कराएगा।

2. स्क्रूटिनाइजर रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम तुरंत कम्पनी की वेबसाइट www.bankofindia.co.in तथा सीडीएसएल की वेबसाइट https:www.evotingindia.com पर रखे जाएंगे। कम्पनी उसी समय परिणामों को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया तथा बीएसई लिमिटेड, जहाँ कम्पनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, को प्रेषित करेगी।

- **<u>व्याख्यात्मक कथन :</u>**

  व्याख्यात्मक कथन में बैठक के कार्यों के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों को व्याख्यायित किया गया है, जो यहां पर संलग्न हैं।

  मद सं 1 - बैंक के शेयर प्रीमियम खाते से बैंक की संचित हानियों का विनियोजन

  यथा दिनांक 31 मार्च, 2020 को, बैंक तुलन पत्र में रु. 35331,77,29,673.58 प्रतिभूति प्रीमियम धनराशि के समक्ष बैंक के पास रु. 23782,38,80,979.26 का संचित हानि शेष है।

  संचित हानियों को प्रतिभूति प्रीमियम खाते में रखी गई धनराशि के बराबर धनराशि के साथ समंजन करने कां प्रस्ताव रखा गया है। यदि उपर्युक्त प्रस्तावित प्रतिभूति प्रीमियम कटौती अनुमोदित होती है और उसे अंतिम रूप दिया जाता है तो इसका प्रभाव यह होगा कि यथा दिनांक 31 मार्च, 2020 को जो संचित हानियॉ रु. 23782,38,80,979.26 थीं वे तद्नुसार घट जाएंगी।

  प्रस्तावित समंजन बैंक की वित्तीय स्थिति का यथार्थ और निष्पक्ष अवलोकन प्रस्तुत करेगा तथा यह किसी भी अनुपात जैसे प्रति शेयर बही मूल्य, इक्विटि पर प्रतिलाभ(आरओई), प्रति शेयर अर्जन (ईएसपीएस) को प्रभावित नहीं करेगा।

  उक्त समंजन बैंक को अपनी वितरण योग्य आरक्षित निधियों का सुधार करने में सहायक होगा। बैंक अपने यथार्थ वित्तीय स्थिति भी प्रस्तुत कर पाएगा, इससे शेयरधारकों को लाभ होगा, क्योंकि उनकी शेयर पूंजी पर बेहतर प्रतिफल प्राप्त होगा तथा बैंक उचित समयावधि के भीतर लागू प्रावधानों के अनुसार लाभांश भुगतान सहित शेयरधारकों के लाभ के अवसर खोज पाएगा। इस प्रस्ताव से बैंक समयबद्ध तरीके से अपनी प्रतिवर्तन योजनाएं पूरी करने के लिए बेहतर स्थिति में जा जाएगा।

  राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 के खंड 21 के अनुसार उक्त अधिनियम की धारा 3 (2बीबीए) में निर्दिष्ट प्रदत्त पूंजी की कटौती के लिए जो प्रक्रिया है उसी के द्वारा बैंक शेयर प्रीमियम खाते से किसी भी धनराशि का विनियोजन कर सकता है। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 3 (2बीबीए) के अनुसार, बैंक समय-समय पर तथा वोट करने हेतु पात्र शेयरधारकों की आम बैठक में, प्रत्यक्ष वोटिंग या जहां परोक्षी अनुमत हों वहाँ परोक्षियों द्वारा वोटिंग के आधार पर पारित संकल्प द्वारा सार्वजनिक निर्गम या अधिकार निर्गम या बोनस शेयरों के निर्गम या अधिमनी आबंटन या निजी स्थानन द्वारा चुकता पूंजी अर्जित करने के पश्चात किसी भी प्रकार से अपनी चुकता पूंजी घटा सकता है। ऐसे संकल्प के पक्ष में डाले गए वोट, वोट करने हेतु पात्र शेयरधारकों द्वारा संकल्प के विरोध में डाले वोटों की संख्या के तीन गुना से कम नहीं होने चाहिए।

चूंकि संचित हानियों का समंजन करने के लिए बैंक के शेयर प्रिमियम खाते का प्रस्तावित उपयोग, पूंजीगत कटौती माना जाएगा, अत: विशेष संकल्प द्वारा बैंक के शेयरधारकों का अनुमोदन मांगा जा रहा है।

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 17 (2) प्रावधान करती है कि यदि बैंक शेयर प्रीमियम या रेवेन्यू रिज़र्व खाते से किसी धनराशि का विनियोजन करता है, तो वह ऐसे विनियोजन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर विनियोजन करने से संबंधित परिस्थितियों का कारण बताते हुए रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट करेगा। बैंक निर्धारित समयावधि के भीतर इस अनिवार्यता का पालन करेगा। आरबीआई के परिपत्र सं: आरबीआई/2006-07/132; डीबीओडी:बीपी:बीसी सं: 31:21.04.018/2006-07 दिनांक 20 सितंबर, 2006 के अनुसार सांविधिक आरक्षित निधियों या अन्य आरक्षित निधियों से विनियोजन करने से पूर्व भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। तदनुसार, बैंक ने उक्त के लिए उनका अनुमोदन लिया है।

शेयर प्रीमियम खाते में कटौती को, जिसमें शेयर प्रीमियम खाते के ऋण पर जमा धनराशि को घटाकर पीएंड एल खाते में ऋण शेष का समंजन शामिल है, बैंक द्वारा अपने शेयरधारकों के पक्ष में दिया गया कोई लाभ नहीं माना जाएगा। तदनुसार, प्रीमियम खाते की कटौती के पश्चात् बैंक की इक्विटी पूंजी संरचना तथा शेयरधारिता के पैटर्न में काई परिवर्तन नहीं होगा।

क्र.सं.	श्रेणी	शेयर प्रीमियम खाते में कटौती से पूर्व		शेयर प्रीमियम खाते में कटौती के बाद	
		धारित इक्विटी शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का प्रतिशत	धारित इक्विटी शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का प्रतिशत
1	प्रवर्तक की धारिता- भारत सरकार	291,96,90,866	89.10	291,96,90,866	89.10
2	गैर- प्रवर्तक की धारिता- सार्वजनिक	35,72,32,484	10.90	35,72,32,484	10.90
		327,69,23,350	100.00	327,69,23,350	100.00

विशेष संकल्प के आधार पर बैंक की संचित हानियों का प्रस्तावित समंजन सभी लागू नियमों के प्रावधानों के अनुरूप किया जाएगा।

बैंक का कोई भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति तथा उनके संबंधी बैंक में अपनी शेयरधारिता, यदि कोइ है, के अलावा, उपर्युक्त संकल्प से संबद्ध नहीं माना जा सकता है।

मद सं.2

भारत में बासेल II पूँजीगत अपेक्षाओं के कार्यान्वयन संबंधी दिशा-निर्देश 1 अप्रैल, 2013 से चरणबद्ध तरीके से लागू किए गए है। उक्त दिशा-निर्देश यथा 30 सितम्बर, 2020 को पूर्णरूप से लागू हो जाएंगे। यथा 30 जून, 2020 को बैंक का समग्र पूंजी पर्याप्तता अनुपात 12.76% और सीइटी -1 पूंजी 9.48% पर रहा। बैंक के निदेशक मंडल ने निर्णय लिया है कि बैंक को

आरबीआई बासेल II संव्यवहारात्मक व्यवस्थाओं के अनुरूप न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता अनुपात बनाए रखना चाहिए। तथापि, जोखिम भारित आस्तियों (आरडब्ल्यूए) में वृद्धि के आकलन तथा लाभ पुनर्निवेश के आधार पर बैंक के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान या उसके बाद अतिरिक्त पूंजी की उगाही आवश्यक हो सकती है।

बैंक को विशेषकर पूंजी संरक्षण बफ़र(सीसीबी), आवश्यकता के कारण आस्तियों में प्रत्याशित वृद्धि के समनुरूप पूंजी बढ़ाने के लिए पर्याप्त पूंजी की आवश्यकता है तथा पूंजी पर्याप्तता के अनुबंधित स्तर, अर्थात सितम्बर, 2020 तक 0.625% प्रतिवर्ष, का पालन करना आवश्यक है।

बैंक पिछले कई वर्षों से बहुत ही कर्मठता तथा सावधानी से वृद्धि कर रहा है तथा उसे निरंतर पूंजी की अपेक्षाएं हैं। इस बढ़ती अपेक्षा को पूरा करने के लिए, बैंक को दीर्घावधि पूंजी की आवश्यकता है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी जारीकरण एवं प्रकटन अर्हताएं) विनियमन, 2018 तथा उस दिनांक तक यथा संशोधित और इस संबंध में सेबी/आरबीआई के अन्य लागू विनियमनों/दिशा-निर्देशों के अनुरूप अर्हता प्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यूआईपी)/सार्वजनिक इश्यू, राइट इश्यू, अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव (एफपीओ)/इक्विटी शेयरों के निजी स्थानन, शेयर आधारित कर्मचारी लाभ, टियर-I बॉण्ड्स, टियर-II बॉण्ड्स, अधिमानी शेयर या इश्यू के ऐसे कई अन्य तरीकों द्वारा बैंक पूंजी की उगाही को प्रस्तावित करता है।

प्रस्तावित संकल्प का प्रस्ताव इसलिए भी रखा गया है ताकि बैंक के निदेशक मंडल को उचित समय साधन, प्रीमियम तथा अन्य शर्तों पर इक्विटि शयर, टियर-I/टियर-II पूंजी जारी कर सके।

विशेष संकल्प के अनुसार इक्विटि शेयर, टियर-I/टियर-II पूंजी बॉण्ड्स का प्रस्तावित निर्गमन सभी लागू नियमों के प्रावधानों के अनुरूप होगा।

आपके निदेशकों ने इस नोटिस की मद सं. 1 एवं 2 में निर्दिष्टानुसार विशेष संकल्प की अनुशंसा की है।

बैंक के किसी भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति तथा उनके संबंधी उनके द्वारा बैंक में धारण किए गए शेयरों, यदि कोई हैं, की सीमा के अलावा ऊपर उल्लिखित संकल्प हितबद्ध या संबद्ध नहीं माना जा सकता है।

निदेशक मण्डल के आदेशानुसार

ह.-

ए.के. दास

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

मुंबई, 25 अगस्त, 2020

Bank of India- Head Office, C-5 G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai-400 051

NOTICE

NOTICE is hereby given that an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of **Bank of India** will be held on Saturday, the 19th **September, 2020** at **11.00. a.m**. through Video Conference ('VC') / Other Audio-Visual Means (OAVM) to transact the following **Special Business**. The Head Office of the Bank shall be the deemed venue of the meeting.

Item No. 1

Appropriation of accumulated losses of the Bank from Share Premium Account of the Bank.

To consider and if through fit, to pass the following resolution as a special resolution:

" RESOLVED THAT pursuant to Section 3(2BBA) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 ("Act"), Section 17 (2) of the Banking Regulation Act, 1949 (`BR Act'), Para 21 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, vide the Department of Financial Services Gazette notification no. CG-DL-E-23032020-218862 (S.O. 1200 E) dated 23.03.2020 referred to as Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Amendment Scheme, 2020, as amended, including any statutory amendments or re-enactments thereof and subject to the approvals of Reserve Bank of India, Government of India and such other authorities as may be necessary in this regard, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to set off the bank's accumulated losses of Rs. 23782,38,80,979.26 (Rupees Twenty Three Thousand Seven Hundred Eighty Two Crores, Thirty Eight Lacs, Eighty Thousand, Nine Hundred Seventy Nine and Paisa Twenty Six only) as at 31st March, 2020 by utilizing the balance standing to the credit of Share Premium Account of Bank as on the date of set off and take the same into account during current Financial year 2020-21."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the above resolution, the Board or a Committee of the Board or officials for the same purpose be and is hereby authorized to do all such acts, deeds, matters and things as it may at its absolute discretion deem necessary or desirable and to settle any question, difficulties or doubts that may arise in this regard."

Item No. 2: **Approval to issue Fresh Capital and Tier-I / Tier-II Bonds**

To consider and if thought fit, to pass the following resolution as a Special Resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (Act), the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (Scheme) and the Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 2007 and other applicable provisions, if any, and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of the Reserve Bank of India ("**RBI"**), the Government of India ("**GOI"**), the Securities and Exchange Board of India ("**SEBI"**), and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the regulations viz., SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, as amended (ICDR Regulations), SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended (hereinafter separately and collectively called as "SEBI Regulations"),SEBI (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008, SEBI (Issue And Listing Of Non-Convertible Redeemable Preference Shares) Regulations, 2013; the Foreign Exchange Management (Non-debt Instruments) Rules, 2019 and in accordance with the applicable rules, regulations, guidelines, circulars and clarifications, if any, prescribed by the RBI, SEBI, Notifications / Circulars and clarifications under the Banking Regulation Act, 1949, Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and all other applicable laws and all other competent authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent **of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank** (hereinafter called "**the Board**" which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot in one or more tranches (including with provision for reservation on firm allotment and/or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by the law then applicable) by way of offer document (s) / placement document /prospectus or such other document (s), in India or abroad

(a) Fresh equity shares of the face value of Rs.10 each for cash at such premium **upto an amount of Rs. 8,000 Crore (Rs. Eight Thousand Crore),** where the fresh Paid up Equity Share capital together with the existing Paid-up Equity share capital within the total authorized capital of Rs.6000 crore of the bank, being the ceiling in the Authorised Capital of the Bank as per Section 3(2A) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, or any amount prescribed by the Government of India and / or the Reserve Bank of India in such a way that the Central Govt. shall at all times hold not less than 51% of the paid-up Equity capital of the Bank, whether at a discount or premium to the market price;

(b) For making offer(s) or invitation(s) to subscribe to perpetual debt instruments in accordance with the guidelines framed by RBI, Non-Convertible Debentures including but not limited to Subordinated Debentures, bonds, Perpetual Non-Cumulative Preference Shares and /or other debt securities/ Preference Shares etc., on a private placement / public issue basis, in one or more tranches which may classify for TIER I or TIER II Capital as identified and classified by RBI or such other authority for an amount not exceeding **Rs.8,000 Crore** (Rupees Eight Thousand Crore only), including amount mentioned under para (a) above, during the period of one year from the date of passing of this Special Resolution in one or more tranches, including to one or more of the members, employees of the Bank, Indian nationals, Non-Resident Indians ("**NRIs**"), Companies, private or public, Investment Institutions, Societies, Trusts, Research Organizations, Qualified Institutional Buyers ("**QIBs**") like Foreign Institutional Investors ("**FIIs**"), Banks, Financial Institutions, Indian Mutual Funds, Venture Capital Funds, Foreign Venture Capital Investors, State Industrial Development Corporations, Insurance Companies, Provident Funds, Pension Funds, Development Financial Institutions or other entities, authorities or any other category of investors which are authorized to invest in equity/preference shares/securities of the Bank as per extant regulations/guidelines or any combination of the above as may be deemed appropriate by the Bank".

"**RESOLVED FURTHER THAT**,such issue, offer or allotment of Securities shall be by way of qualified institutions placement (QIP), public issue, rights issue, private placement or such other mode of issue as may be provided by applicable laws, with or without over-allotment option and that such offer, issue, placement and allotment of securities be made as per the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 (**"ICDR Regulations")** and all other guidelines issued by the RBI, SEBI and any other authority as applicable, and at such time or times in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, think fit."

"RESOLVED FURTHER THAT, the Equity Shares to be issued shall be listed with the stock exchanges where the existing equity shares of the Bank are listed**."**

"RESOLVED FURTHER THAT, in respect of the aforesaid issue/s, the Board shall have the absolute authority to decide, such price or prices not below the price as determined in accordance with relevant provisions of ICDR Regulations, in such manner and wherever necessary, in consultation with the lead managers and /or underwriters and /or other advisors, and/or such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of ICDR Regulations, other regulations and any and all other applicable laws, rules, regulations and guidelines, and/or whether or not the proposed investor(s) are existing shareholders of the Bank."

"RESOLVED FURTHER THAT in case of a Qualified Institutions Placement pursuant to Chapter VI of the ICDR Regulations:

a) the allotment of Securities shall only be to Qualified Institutional Buyers within the meaning of Chapter VI of the ICDR Regulations, such Securities shall be fully paid-up and the allotment of such Securities shall be completed within 365 days from the date of this resolution, or such other time as may be permitted under the ICDR Regulations from time to time."

b) the Bank is pursuant to Regulation 176 (1) of ICDR Regulations authorized to offer shares at a discount of not more than five percent on the floor price.

c) the relevant date for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the ICDR Regulations."

"RESOLVED FURTHER THAT, the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI / RBI / SEBI/Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or where the Debt Securities to be issued are proposed to be listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board."

"RESOLVED FURTHER THAT the issue and allotment of aforesaid Securities, if any, to NRIs, FPIs and/or other eligible foreign investments be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act and by other regulators, as applicable"

"RESOLVED FURTHER THAT the said new equity shares to be issued shall be subject to the Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 2007 as amended and shall rank in all respects *pari-passu* with the existing equity shares of the Bank including dividend, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration."

"**RESOLVED FURTHER THAT**, the Board be and is hereby authorized to enter into and execute all such arrangements with any Lead Manager(s), Banker(s), Underwriter(s), Depository (ies) and all such agencies as may be involved or concerned in such offering of aforesaid Securities and to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents, etc., with such agencies."

"**RESOLVED FURTHER THAT**, for the purpose of giving effect to the above, the Board, in consultation with the Lead Managers, Underwriters, Advisors and / or other persons as appointed by the Bank, be and is hereby authorized to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the aforesaid Securities are to be allotted, their number to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, premium amount on issue/conversion of Securities/ exercise of warrants/redemption of Securities, rate of interest, redemption period, number of equity shares /preference shares or other securities upon conversion or redemption or cancellation of the Securities, the price, premium or discount on issue/conversion of Securities, rate of interest, period of conversion, fixing of record date or book closure and related or incidental matters, listings on one or more stock exchanges in India and / or abroad, as the Board in its absolute discretion deems fit."

"**RESOLVED FURTHER THAT**, such of the aforesaid Securities as are not subscribed may be disposed off by the Board in its absolute discretion in such manner, as the Board may deem fit and as permissible by law."

"**RESOLVED FURTHER THAT**, for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board, be and is hereby authorized to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue, of the shares/ securities and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalize and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorize to the

end and intent, that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of the Resolution."

"**RESOLVED FURTHER THAT**, the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred to the Managing Director & Chief Executive Officer (MD & CEO) or to the Executive Director/(s) to give effect to the aforesaid Resolutions."

By Order of the Board of Directors

Sd/-

Place : Mumbai
Date : August 25, 2020

(A K Das)
Managing Director & CEO

NOTES

Notes:

1. In view of the continuing Covid-19 pandemic, the Ministry of Corporate Affairs("MCA") has vide its circular dated May 5, 2020 read with circulars dated April 8, 2020 and April 13, 2020 (collectively referred to as "MCA Circulars"), approval received from Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India, permitted the holding of the Annual General Meeting ("AGM") and Extra ordinary General Meetings (EGM) through VC / OAVM, without the physical presence of the Members at a common venue. In compliance with the provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations") and MCA Circulars, the EGM of the Bank is being held through VC / OAVM.

2. Pursuant to the applicable provisions, a Member entitled to attend and vote at the EGM is entitled to appoint a proxy to attend and vote on his/her behalf and the proxy need not be a Member of the Bank. Since this EGM is being held pursuant to the MCA / MOF Circulars through VC / OAVM, physical attendance of Members has been dispensed with. Accordingly, the facility for appointment of proxies by the Members will not be available for the EGM and hence the Proxy Form and Attendance Slip are not annexed to this Notice.

3. Institutional / Corporate Shareholders (i.e. other than individuals / HUF, NRI, etc.) are required to send a scanned copy (PDF/JPG Format) of its Board or governing body Resolution/Authorization etc., authorizing its representative to attend the EGM through VC / OAVM on its behalf and to vote through remote e-voting. The said Resolution/Authorization shall be sent to the Company Secretary of the Bank by email to headoffice.share@bankofindia.co.in with a copy marked to the Scrutinizer by email to scrutinizer@snaco.net with a copy also marked to helpdesk.evoting@cdslindia.com.

4. To support the `Green Initiative', Members who have not yet registered their email addresses are requested to register the same with the DPs in case the shares are held by them in physical form.

5. In case of joint holders, the shareholders whose name appears as their first holder in order of names as per the Register of shareholders of the Bank will be entitled to vote at the EGM.

6. Shareholders seeking any information with regard to the accounts or any matter to be placed at the EGM, are requested to write to the Bank on or before September 11, 2020 through email on headoffice.share@bankofindia.co.in. The same will be replied by the Bank suitably at the EGM.

7. In compliance with the aforesaid MCA Circulars and SEBI Circular dated May 12, 2020, Notice of the EGM is being sent only through electronic mode to those Shareholders whose email addresses are registered with the Bank/Depositories. Shareholders may note that the Notice will also be available on the Bank's website www.bankofindia.co.in websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively, on the website of CDSL https:www.cdslindia.com.

8. Members attending the EGM through VC / OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum.

9. Since the EGM will be held through VC / OAVM, the Route Map is not annexed in this Notice.

10. E-VOTING

The Bank is pleased to provide remote e-voting facility to the shareholders of the Bank to enable them to cast their votes electronically on the items mentioned in the notice. The Bank will also provide e-voting facility during the EGM for those shareholders who have not casted their votes during the remote e-voting process. The Bank has appointed M/s. S N ANANTHASUBRAMANIAN & Co., Practising Company Secretaries as the Scrutinizer for conducting the e-voting process in a fair and transparent manner. The E-voting rights of the shareholders/beneficiary owners shall be reckoned on the equity shares held by them as on Saturday September 12, 2020, being the cut-off date for the purpose. Shareholders of the Bank holding share either in physical or in dematerialized form, as on the Cut-off date, may cast their vote electronically.

11. **E-VOTING INSTRUCTIONS** - CDSL e-Voting System
For Remote e-voting and e-voting during EGM

1. As you are aware, in view of the situation arising due to COVID-19 global pandemic, the general meetings of the companies shall be conducted as per the guidelines issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) vide Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, Circular No.17/2020 dated April 13, 2020 and Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020. The forthcoming EGM will thus be held through video conferencing (VC) or other audio visual means (OAVM). Hence, Members can attend and participate in the ensuing EGM through VC/OAVM.

2. Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended) and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations 2015 (as amended), and MCA Circulars dated April 08, 2020, April 13, 2020 and May 05, 2020 the Company is providing facility of remote e-voting to its Members in respect of the business to be transacted at the EGM. For this purpose, the Company has entered into an agreement with Central Depository Services (India) Limited (CDSL) for facilitating voting through electronic means, as the authorized e-Voting's agency. The facility of casting votes by a member using remote e-voting as well as the e-voting system on the date of the EGM will be provided by CDSL.

3. The Members can join the EGM in the VC/OAVM mode 15 minutes before and after the scheduled time of the commencement of the Meeting by following the procedure mentioned in the Notice. The facility of participation at the EGM through VC/OAVM will be made available to at least 1000 members on first come first served basis. This will not include large Shareholders (Shareholders holding 2% or more shareholding), Promoters, Institutional Investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee, Auditors etc. who are allowed to attend the EGM without restriction on account of first come first served basis.

4. The attendance of the Members attending the EGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of ascertaining the quorum under Bank's (Shares and Meeting) Regulations, 2007.

5. Pursuant to MCA Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, the facility to appoint proxy to attend and cast vote for the members is not available for this EGM. However, in pursuance of Section 112 and Section 113 of the Companies Act, 2013, representatives of the members such as the President of India or the Governor of a State or body corporate can attend the EGM through VC/OAVM and cast their votes through e-voting.

6. In line with the Ministry of Corporate Affairs (MCA) Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, the Notice calling the EGM has been uploaded on the website of the Bank at www.bankofindia.co.in. The Notice can also be accessed from the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively. The EGM Notice is also disseminated on the website of CDSL (agency for providing the Remote e-Voting facility and e-voting system during the EGM) i.e. www.evotingindia.com.

THE INTRUCTIONS FOR SHAREHOLDRES FOR REMOTE E-VOTING ARE AS UNDER:

(i) The voting period begins on 10.00 a.m. on Wednesday, September 16, 2020 and ends on 5.00 p.m. on Friday, September 18, 2020. During this period shareholders' of the bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date (record date) of Saturday, September 12, 2020 may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.

(ii) Shareholders who have already voted prior to the meeting date would not be entitled to vote at the meeting venue.

(iii) The shareholders should log on to the e-voting website www.evotingindia.com.

(iv) Click on "Shareholders" module.

(v) Now enter your User ID

a. For CDSL: 16 digits beneficiary ID,
b. For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID,
c. Shareholders holding shares in Physical Form should enter Folio Number registered with the Company.

(vi) Next enter the Image Verification as displayed and Click on Login.

(vii) If you are holding shares in demat form and had logged on to www.evotingindia.com and voted on an earlier e-voting of any company, then your existing password is to be used.

(viii) If you are a first time user follow the steps given below:

	For Shareholders holding shares in Demat Form and Physical Form
PAN	Enter your 10 digit alpha-numeric PAN issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders) • Shareholders who have not updated their PAN with the Company/Depository Participant are requested to use the sequence number which is printed on Postal Ballot / Attendance Slip indicated in the PAN field.
Dividend Bank Details **OR** Date of Birth (DOB)	Enter the Dividend Bank Details or Date of Birth (in dd/mm/yyyy format) as recorded in your demat account or in the company records in order to login. • If both the details are not recorded with the depository or company please enter the member id / folio number in the Dividend Bank details field as mentioned in instruction (v).

(ix) After entering these details appropriately, click on "SUBMIT" tab.

(x) Shareholders holding shares in physical form will then directly reach the Company selection screen. However, shareholders holding shares in demat form will now reach 'Password Creation' menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is to be also used by the demat holders for voting for resolutions of any other company on which they are eligible to vote, provided that company opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.

(xi) For shareholders holding shares in physical form, the details can be used only for e-voting on the resolutions contained in this Notice.

(xii) Click on the EVSN for the relevant Bank of India on which you choose to vote.

(xiii) On the voting page, you will see "RESOLUTION DESCRIPTION" and against the same the option "YES/NO" for voting. Select the option YES or NO as desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.

(xiv) Click on the "RESOLUTIONS FILE LINK" if you wish to view the entire Resolution details.

(xv) After selecting the resolution you have decided to vote on, click on "SUBMIT". A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "OK", else to change your vote, click on "CANCEL" and accordingly modify your vote.

(xvi) Once you "CONFIRM" your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

(xvii) You can also take a print of the votes cast by clicking on "Click here to print" option on the Voting page.

(xviii) If a demat account holder has forgotten the login password then Enter the User ID and the image verification code and click on Forgot Password & enter the details as prompted by the system.

(xix) Shareholders can also cast their vote using CDSL's mobile app "**m-Voting".** The m-Voting app can be downloaded from respective Store. Please follow the instructions as prompted by the mobile app while Remote Voting on your mobile.

PROCESS FOR THOSE SHAREHOLDERS WHOSE EMAIL ADDRESSES ARE NOT REGISTERED WITH THE DEPOSITORIES FOR OBTAINING LOGIN CREDENTIALS FOR E-VOTING FOR THE RESOLUTIONS PROPOSED IN THIS NOTICE:

1. For Physical shareholders- please provide necessary details like Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) by email to **Company/RTA email id**.

2. For Demat shareholders -, please provide Demat account details (CDSL-16 digit beneficiary ID or NSDL-16 digit DPID + CLID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) to **Company/RTA email id**.

3.The company/RTA shall co-ordinate with CDSL and provide the login credentials to the above-mentioned shareholders.

INSTRUCTIONS FOR SHAREHOLDERS ATTENDING THE EGM THROUGH VC/OAVM ARE AS UNDER:

1. Shareholder will be provided with a facility to attend the EGM through VC/OAVM through the CDSL e-Voting system. Shareholders may access the same at https://www.evotingindia.com under shareholders/members login by using the remote e-voting credentials. The link for VC/OAVM will be available in shareholder/members login where the EVSN of Company will be displayed.
2. Shareholders are encouraged to join the Meeting through Laptops / IPads for better experience.
3. Further shareholders will be required to allow Camera and use Internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting.
4. Please note that Participants Connecting from Mobile Devices or Tablets or through Laptop connecting via Mobile Hotspot may experience Audio/Video loss due to Fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use Stable Wi-Fi or LAN Connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.
5. Shareholders who would like to express their views/ask questions during the meeting may register themselves as a speaker by sending their request in advance at least seven **days**

prior to meeting mentioning their name, demat account number/folio number, email id, mobile number at **headoffice.share@Bankofindia.co.in**. The shareholders who do not wish to speak during the EGM but have queries may send their queries in advance seven **days prior to meeting** mentioning their name, demat account number/folio number, email id, mobile number at **headoffice.share@Bankofindia.co.in**. These queries will be replied to by the company suitably by email.

6. Those shareholders who have registered themselves as a speaker will only be allowed to express their views/ask questions during the meeting.

INSTRUCTIONS FOR SHAREHOLDERS FOR E-VOTING DURING THE EGM ARE AS UNDER:-

1. The procedure for e-Voting on the day of the EGM is same as the instructions mentioned above for Remote e-voting.

2. Only those shareholders, who are present in the EGM through VC/OAVM facility and have not casted their vote on the Resolutions through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting system available during the EGM.

3. If any Votes are cast by the shareholders through the e-voting available during the EGM and if the same shareholders have not participated in the meeting through VC/OAVM facility , then the votes cast by such shareholders shall be considered invalid as the facility of e-voting during the meeting is available only to the shareholders attending the meeting.

4. Shareholders who have voted through Remote e-Voting will be eligible to attend the EGM. However, they will not be eligible to vote at the EGM.

(xx) **Note for Non – Individual Shareholders and Custodians**

- Non-Individual shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) and Custodians are required to log on to www.evotingindia.com and register themselves in the "Corporates" module.
- A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and sign of the entity should be emailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com.
- After receiving the login details a Compliance User should be created using the admin login and password. The Compliance User would be able to link the account(s) for which they wish to vote on.
- The list of accounts linked in the login should be mailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com and on approval of the accounts they would be able to cast their vote.
- A scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the same.
- Alternatively Non Individual shareholders are required to send the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. together with attested specimen signature of the duly authorized signatory who are authorized to vote, to the Scrutinizer at scrutinizer@snaco.net and to the Bank at the email address viz; **headoffice.share@Bankofindia.co.in**, if they have voted from individual tab & not uploaded same in the CDSL e-voting system for the scrutinizer to verify the same.

In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call 1800225533.

All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Manager, (CDSL,) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call 1800225533.

Other Instructions

1. The Scrutinizer shall, immediately after the conclusion of voting at the EGM**,** make a consolidated Scrutinizer's Report of the total votes cast in favour or against, if any, to the Chairman / MD & CEO or a person authorised by him in writing, who shall countersign the same.

2. The result declared along with the Scrutinizer's Report shall be placed on the Company's website www.bankofindia.co.in and on the website of CDSL https: www.evotingindia.com immediately. The Company shall simultaneously forward the results to National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited, where the shares of the Company are listed.

- **EXPLANATORY STATEMENT:**

Item No. 1- Appropriation of accumulated losses of the Bank from Share Premium Account of the Bank

As on March 31, 2020, Bank is having a balance of accumulated losses of Rs. 23782,38,80,979.26 as against the Securities Premium amount of Rs. 35331,77,29,673.58 in the Balance Sheet.
It is proposed to set off the accumulated losses with an equal amount lying in the Securities Premium Account. The effect of the aforesaid proposed Securities Premium reduction, if approved and finalized would be that the accumulated losses which as on 31st March 2020 stood at Rs. 23782,38,80,979.26 will accordingly stand reduced.

The proposed set off will present the true and fair view of the financial position of the Bank and will not affect any ratios such as Book Value per share, Return on Equity (ROE), Earning per Share (EPS).

The said set off will help the Bank to improve its distributable reserves. The Bank will also be able to represent its true financial which would benefit shareholders as their holding will yield better value and also enable the Bank to explore opportunities to the benefit of the shareholders of the Bank including in the form of dividend payment as per the applicable provisions within a reasonable timeframe. The proposal will also put the Bank in a better position to achieve its turnaround plans in a time-bound manner.

In terms of Clause 21 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Bank may appropriate any sum from its share premium account by following the same procedure for reduction of paid-up capital referred to in Section 3 (2BBA) of the Act. Further, in terms of Section 3(2BBA) of the Act, the Bank may, from time to time and after any paid-up capital has been raised by public issue or right issue or by issue of bonus shares or preferential allotment or private placement by resolution passed at the general meeting of shareholders entitled to vote, voting in person, or where proxies are allowed, by proxy, and the votes cast in favour of the resolution are not less than three times the number of votes, if any, cast against the resolution by the shareholders so entitled and voting, reduce its paid-up capital in any way.

As the proposed utilization of Share Premium Account of the Bank for the purpose of setting off accumulated losses would be deemed to be a capital reduction, approval of the shareholders of the Bank by way of a Special Resolution is being sought.

Section 17 (2) of the Banking Regulation Act, 1949 provides that where the Bank appropriates any sum or sums from the Share Premium or Revenue Reserve Accounts, it shall within twenty-one days from the date of such appropriation, report the fact to the Reserve Bank, explaining the circumstance relating to such appropriation. The Bank will comply with this requirement within the prescribed time period. In terms of RBI Circular No. RBI/2006-07/132; DBOD. BP.BC.No.31/21.04.018/2006-007 dated September 20, 2006, prior approval of Reserve Bank of India is required before appropriation is made from the statutory reserves or any other Reserves. Accordingly, Bank has sought their approval for the same.

The reduction of Share premium Account which involves set off of debit balance in P & L account by reducing the amount standing to the credit of the Share Premium Account does not entail discharge of any consideration by the Bank to its shareholders. Accordingly, the Bank's equity capital structure and shareholding pattern post reduction of Premium Account will remain unchanged.

Sr. No.	Category	Prior to the Reduction of Share Premium Account		After the Reduction of Share Premium Account	
		Number of Equity Shares Held	Percentage of shareholding	Number of Equity Shares Held	Percentage of shareholding
1	Promoter's Holding- Government of India	291,96,90,866	89.10	291,96,90,866	89.10
2	Non-Promoter Holding: Public	35,72,32,484	10.90	35,72,32,484	10.90
		327,69,23,350	100.00	327,69,23,350	100.00

The proposed Set Off of the Accumulated Losses of the Bank in terms of the Special Resolution will be in conformity with the provisions of all applicable laws.

None of the Directors, Key Managerial Persons of the Bank and their relatives may be deemed to be interested or concerned in the aforesaid resolution, except to the extent of their shareholding, if any, in the Bank.

Item No. 2

The Guidelines on implementation of Basel III capital requirements in India have become effective from 1st April 2013 in a phased manner. The guidelines will be fully phased in as on 30th September 2020. The Bank's overall Capital Adequacy Ratio (CAR), as on 30th June 2020 stand as 12.76% with CET-1 Capital at 9.48%. The Board of Directors of Bank has decided that the Bank should maintain minimum Capital Adequacy Ratio in line with the RBI Basel III transitional arrangements. However, based on the assumption of growth in Risk Weighted Assets (RWA) and plough back of profits, the Bank may require to raise additional Capital during FY 2020-21 or afterwards.

The Bank requires adequate Capital to match the anticipated growth in assets and comply with stipulated level of capital adequacy, especially on account of requirement of the Capital Conservation Buffer (CCB) i.e. 0.625% every year till September 2020

The Bank has been growing very diligently and cautiously for the last many years and there is constant requirement of capital. In order to meet this growing requirement, Bank needs long term capital. The Bank proposes to raise capital by way of Qualified Institutions Placement (QIP) /public issue, rights issue, Follow on public offer (FPO)/ private placement of equity shares, Share Based Employee Benefits, Tier-I Bonds, Tier-II Bonds, preference shares or such other modes of issue, in accordance with Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations 2018 and as amended up to date and other applicable Regulations / Guidelines of SEBI/RBI in this regard.

The proposed resolution is also proposed in order to enable the Board of Directors of the Bank to issue the equity shares, Tier-I/ Tier-II capital at an appropriate time, mode, premium and other terms.

The proposed issuance of Equity Shares / Tier-I, Tier-II capital bonds in terms of the Special Resolution will be in conformity with the provisions of all applicable laws.

Your Directors recommend, the Special Resolutions as set out in Items 1 and 2 of the Notice.

None of the Directors of the Bank, Key Managerial Personnel and their relatives may be deemed to be interested or concerned in the aforementioned resolution, except to the extent of their shareholding, if any, in the Bank.

By Order of the Board of Directors

Sd/-
A K Das
Managing Director & CEO

Mumbai, August 25, 2020